



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0  
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस  
CORPORATE OFFICE  
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग  
Human Resource & Administration

पत्रांक : 1543 / मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0-5

दिनांक : 17 / 10 / 2011

**कार्यालय ज्ञाप**

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में कार्यरत, सेवानिवृत्त कर्मियों, पारिवारिक पेन्शनरों तथा उनके आश्रितों की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित चिकित्सालयों की मान्यता अवधि एतद्वारा निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:-

क्र0 स0	चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान का नाम	मान्यता की अवधि	मान्यता वृद्धि की तिथि	उद्देश्य
1	रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, कनखल, हरिद्वार	30.09.2011 तक	01.10.2011से 30.09.2012 तक	सभी रोगों हेतु
2	सुशीला तिवारी वन चिकित्सालय, हल्द्वानी	30.09.2011 तक	01.10.2011से 30.09.2012 तक	सभी रोगों हेतु
3	हिमालयन हॉस्पिटल, जौली ग्राण्ट, देहरादून	30.09.2011 तक	01.10.2011से 30.09.2012 तक	सभी रोगों हेतु
4	कम्बाईण्ड मैडिकल इन्स्टीट्यूट, देहरादून	30.09.2011 तक	01.10.2011से 30.09.2012 तक	सभी रोगों हेतु
5	महन्त इन्दिरेश हॉस्पिटल, देहरादून	30.09.2011 तक	01.10.2011से 30.09.2012 तक	सभी रोगों हेतु
6	पाटिल डेन्टल क्लीनिक, बल्लपुर रोड, देहरादून	30.09.2011 तक	01.10.2011से 30.09.2012 तक	दन्त रोगों हेतु
7	संजीवनी मेडिकल एण्ड डायग्नोसिस सेण्टर, देहरादून	30.09.2011 तक	01.10.2011से 30.09.2012 तक	सभी रोगों हेतु
8	दून एम0आर0आई0/स्कैन सेण्टर, देहरादून	30.09.2011 तक	01.10.2011से 30.09.2012 तक	एम0आर0 आई0/स्कैन
9	अमृतसर आई क्लीनिक, देहरादून	30.09.2011 तक	01.10.2011से 30.09.2012 तक	नेत्र रोगों हेतु
10	मुकेश ढोंडा दन्त चिकित्सालय, देहरादून (डा0 मेहता डेण्टल सेण्टर)	30.09.2011 तक	01.10.2011से 30.09.2012 तक	दन्त रोगों हेतु
11	दृष्टि आई सेण्टर, देहरादून	30.09.2011 तक	01.10.2011से 30.09.2012 तक	नेत्र रोगों हेतु
12	कृष्णा हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, हल्द्वानी	30.09.2011 तक	01.10.2011से 30.09.2012 तक	सभी रोगों हेतु
13	निर्मल आश्रम हॉस्पिटल, ऋषिकेश	30.09.2011 तक	01.10.2011से 30.09.2012 तक	सभी रोगों हेतु

प्रतिबन्ध यह होगा कि :-


1. उक्त सभी चिकित्सालय उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के साथ पूर्व में हुए अनुबन्ध में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों एवं चिकित्सा दर सूची के अधीन चिकित्सा सुविधा प्रदान करेंगे।
2. मान्यता अवधि में चिकित्सा दरों में सामान्यतः कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, किन्तु यदि चिकित्सा दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव कारपोरेशन को प्राप्त होता है तो उस पर विचार किया जा सकता है किन्तु कोई भी चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान कारपोरेशन की अनुमति के बिना अपनी चिकित्सा दरों में वृद्धि नहीं करेगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 1543 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0-5 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7-बी, लेन नं0-1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
2. निदेशक (मा0सं0) / (रूरियोजना) / (परि0एवंअनु0), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल .....
4. उपमुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, 7-बी, लेन नं0-1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह आदेश को पिटकुल की वेबसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल .....
7. सम्बन्धित चिकित्सालय।
8. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/सम्बन्धित पत्रावली।

  
(पी0सं0 ध्यानी) 17/10/11  
वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0)

279



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0  
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट ऑफिस  
CORPORATE OFFICE  
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग  
Human Resource & Administration

पत्रांक : 1545 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी0-5

दिनांक : 17 / 10 / 2011

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में कार्यरत, सेवानिवृत्त कर्मियों, पारिवारिक पेन्शनरों तथा उनके आश्रितों की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित चिकित्सालयों की मान्यता अवधि एतद्वारा निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:-

क्र0 सं0	चिकित्सालय / चिकित्सा संस्थान का नाम	मान्यता की अवधि	मान्यता वृद्धि की तिथि	उद्देश्य
1	मेट्रो हास्पिटलस एवं हार्ट इन्स्टीट्यूट, नौएडा	09 / 2011	01.10.2011 से 09 / 12	सभी रोगों हेतु
2	फारटिस हास्पिटल, नौएडा	09 / 2011	01.10.2011 से 09 / 12	सभी रोगों हेतु
3	कैलाश हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, नौएडा	09 / 2011	01.10.2011 से 09 / 12	सभी रोगों हेतु
4	लखनऊ केन्सर इन्स्टीट्यूट, जियामाऊ, लखनऊ	09 / 2011	01.10.2011 से 09 / 12	कैंसर रोग हेतु
5	टाटा मेमोरियल हास्पिटल, मुम्बई	09 / 2011	01.10.2011 से 09 / 12	कैंसर रोग हेतु
6	ओपोलो हास्पिटल, नई दिल्ली	09 / 2011	01.10.2011 से 09 / 12	*निर्धारित छः रोगों
7	इन्द्रप्रस्थ ओपोलो कैंसर हास्पिटल, नई दिल्ली	09 / 2011	01.10.2011 से 09 / 12	कैंसर रोग हेतु
8	एस्कार्ट हार्ट हास्पिटल, नई दिल्ली	09 / 2011	01.10.2011 से 09 / 12	हृदय रोग हेतु
9	मूलचन्द खैराती लाल हास्पिटल, दिल्ली	09 / 2011	01.10.2011 से 09 / 12	*निर्धारित छः रोगों
10	सर गंगा राम हास्पिटल, दिल्ली	09 / 2011	01.10.2011 से 09 / 12	*निर्धारित छः रोगों

नोट:

- उत्तराखण्ड राज्य तथा राज्य से बाहर के सभी सरकारी चिकित्सालय / चिकित्सा संस्थान स्वतः मान्यता प्राप्त है।

\*निर्धारित छः रोग :- हृदय बाई पास सर्जरी, पेस मेकर लगवाना, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय या मस्तिष्क की वृहद शल्य क्रिया, कैंसर, हैपेटाइटिस-बी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 1545 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी0-5 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7-बी, लेन न0-1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
- निदेशक (मा0सं0) / (परियोजना) / (परि0एवंअनु0), पिटकुल, देहरादून।
- समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल .....
- उपमुख्य लेखाधिकारी / वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, 7-बी, लेन न0-1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
- अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह आदेश को पिटकुल की वेबसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
- समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल .....
- सम्बन्धित चिकित्सालय।
- कार्यालय ज्ञाप पंजिका / सम्बन्धित पत्रावली।

(पी0सं0 ध्यानी) 17/10/11,  
वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0)



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०  
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस  
CORPORATE OFFICE  
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग  
Human Resource & Administration

पत्रांक : 1547 / मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी०-5

दिनांक : 17 / 10 / 2011

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन के आदेश संख्या 1281/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी०-5 दिनांक 20.09.2010 के माध्यम से निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों को कारपोरेशन पैनल पर लिये जाने हेतु गठित कमेटी के पूर्व नामित अध्यक्ष महाप्रबन्धक (मा०सं०) के स्थान पर महाप्रबन्धक (क्रय एवं अनुबन्ध) को कमेटी का अध्यक्ष नामित किया जाता है। कमेटी के नामित अन्य सदस्य यथावत रहेंगे।


यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 1547 / मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी०-5 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7-बी, लेन नं०-1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
2. निदेशक (मा०सं०/परिचालन एवं अनुरक्षण)/परियोजना, पिटकुल, देहरादून।
3. नव नामित अध्यक्ष तथा कमेटी के समस्त सदस्य, पिटकुल।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल .....
5. उपमुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्र०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह आदेश को पिटकुल की वेबसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल .....
8. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/सम्बन्धित पत्रावली।

  
(पी०सी० ध्यानी) 17/10/11  
वरिष्ठ प्रबन्धक (मा०सं०)



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0  
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस  
CORPORATE OFFICE  
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग  
Human Resource & Administration

पत्रांक : 1430 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी0-5

दिनांक : 23/09/2011

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मियों/पारिवारिक पेन्शनरों तथा उन पर पूर्णतया आश्रित परिवारों को चिकित्सालय में भर्ती के दौरान चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमत्य किये जाने हेतु निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों का कारपोरेशन पैनल पर लिये जाने हेतु पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या 1281/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-5 दिनांक 20.09.2010 द्वारा घोषित नीति में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

पूर्व प्राविधान	संशोधन
2.1:- कारपोरेशन द्वारा उत्तराखण्ड के मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 30 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 15 पलंग वाले अस्पतालों को ही मान्यता दिये जाने पर विचार किया जायेगा।	कारपोरेशन द्वारा उत्तराखण्ड के मैदानी/पर्वतीय क्षेत्रों में 15 या 15 से अधिक पलंग वाले चिकित्सालयों को ही मान्यता दिये जाने पर विचार किया जायेगा। 2.1 में दिये गये प्राविधान का अन्य अंश के सम्बन्ध में मानदण्ड पूर्ववत् ही रहेगा।
2.11:- चिकित्सालय, आयकर अधिनियम-1961 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत छूट प्राप्त हो।	आयकर अधिनियम-1961 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने का दायित्व सम्बन्धित चिकित्सालय का है। अतः यह प्राविधान समाप्त किया जाता है।


निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों को कारपोरेशन पैनल पर लिये जाने हेतु पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या 1281/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-5 दिनांक 20.09.2010 द्वारा घोषित नीति के अन्य प्राविधान यथावत प्रवृत्त होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक : 1430 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी0-5 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7-बी, लेन नं0-1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
2. निदेशक (परिचालन एवं अनुरक्षण)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल .....
4. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7-बी, लेन नं0-1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
5. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह आदेश को पिटकुल की वैबसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल .....

  
(एस0 के0 शर्मा)  
निदेशक (मा0सं0)